



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-543

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 307423 दिनांक 24/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamlesh Sharma S/o Anil Kumar Sharma	ओ.पी. जैन कर्ता श्री ओमप्रकाश जैन एचयूएफ पुत्र स्व. श्री मिश्री लाल जैन	59	166.66 SQ. YARD	Cooperative	SURYA NAGAR	Sub Division and Reconstitution	आवेदिका श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 59 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज के उप विभाजन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 59 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 27.09.2006 को ओ.पी. जैन कर्ता श्री ओमप्रकाश जैन एचयूएफ पुत्र स्व. श्री मिश्री लाल जैन के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 59 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 111.11 व.ग. को ओ.पी. जैन



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कर्ता श्री
ओमप्रकाश जैन
एचयूएफ पुत्र स्व.
श्री मिश्री लाल
जैन द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
08.10.2020 को
श्री संजय सिंह पुत्र श्री
श्री मेघ सिंह को
बेचान किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या 59
क्षेत्रफल 111.11
वर्गगज को श्री
संजय सिंह पुत्र श्री
मेघ सिंह द्वारा
जरिये पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
16.02.2023 को
श्रीमती कमलेश
शर्मा पत्नी श्री
अनिल कुमार
शर्मा को बेचान
किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamlesh Sharma S/o Anil Kumar Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004